राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 163 / 2011 / उदयपुर में संशोधन आदेश

मैसर्स जय जय श्रीनाथ भगवान एण्ड कम्पनी,
उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी
उदयपुर ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

निर्णय दिनांक : 10.04.2017

संशोधन आदेश

1. उपराजकीय अधिवक्ता श्री डी. पी. ओझा द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि निर्णय दिनांक 21.02.2017 में व्यवहारी द्वारा प्रश्नमन का विकल्प लिये जाने का उल्लेख है, जबकि व्यवहारी द्वारा प्रश्मन का विकल्प नहीं ले रखा था। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में "व्यवसायी केरोसीन पीडीएस के अन्तर्गत विक्रय करता है, जो करमुक्त है, का उल्लेख है।" अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2010 में व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यह उल्लेखित किया है कि "प्रार्थी व्यवसाई केरोसीन का होलसेलर है। उसने प्रश्मन का विकल्प ले रखा है।" अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में उपरोक्तानुसार लिखे गये कथनों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2017 में प्रशमन का उल्लेख हो गया है जो कि रेकार्ड पर स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर त्रुटि है तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत संशोधन योग्य है तथा धारा 33(2) के अन्तर्गत समयावधि में है साथ ही निर्णय के पृष्ठ संख्या 1 पर बिन्दु संख्या 1 के पश्चात 3 अंकित हो गया है जबकि 2 होना चाहिये। प्रार्थी के अभिभाषक का नाम भी श्री अभिषेक अजमेरा के स्थान पर अभिषेक शर्मा अंकित है।

2. निर्णय पृष्ठ संख्या 1 के बिन्दु संख्या 1 के पश्चात बिन्दु संख्या 3 के स्थान पर बिन्दु संख्या 2 किया जाता है।

3. बिन्दु संख्या 2 (मूल निर्णय में बिन्दु संख्या 3 जिसे संशोधित कर बिन्दु 2 किया गया है।) की दूसरी पंक्ति में "तथा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के दौरान उनके द्वारा प्रशमन का विकल्प ले रखा था।" के स्थान पर "तथा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के दौरान व्यवसायी केरासीन का पीडीएस के अंतर्गत विक्रय करता था जो करमुक्त था।" पढ़ा जावें। बिन्दु संख्या 7 की पक्ति संख्या 1 / 2 में "विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी केरोसीन का होलसेलर है जिसने प्रशमन का विकल्प ले रखा था।" के स्थान पर "व्यवसाई केरोसीन का पीडीएस के अन्तर्गत विक्रय करता था, जो कर मुक्त था।" पढा जावें। इसी प्रकार इस बिन्दु संख्या 2 की पंक्ति संख्या 4 / 5 में "जिन व्यवसाईयों द्वारा प्रशमन का विकल्प लिया हुआ है।" के स्थान पर "जिन व्यवसाईयों का व्यवसाय करमुक्त है।" पढ़ा जावें।

4. अपीलार्थी अभिभाषक अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक अजमेरा पढ़ा जावें।

(नत्थूराम)
सदस्य